जनपद गाजियाबाद **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 17.8.19**

थाना खोड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 394/19 धारा 363,302,201 भादवि से सम्बन्धित अपहर्ता की हत्या करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार :- थाना खोड़ा पुलिस द्वारा दिनांक 18.08.2019 को समय 09.00 am पर इतवार पुस्ता खोडा से थाना खोड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 394/19 धारा 363,302,201 भादवि _का सफल अनावरण करते हुये अपहर्ता बच्ची उम्र 07 वर्ष की हत्या कर शव को छिपाने वाले अपहर्ता के चाचा सलीम पुत्र महमूद नि0 भारत नगर थाना खोडा गाजियाबाद को मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 12.08.2019 को बकरीद (ईदुल-अजहा) के दिन मौ0 भारत नगर से एक बच्ची उम्र 07 वर्ष के अपहर्ण करने के सम्बन्ध मे अपहर्ता के मामा श्री महताब के द्वारा दिनांक 13.08.2019 को थाना खोड़ा पर लिखित सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 394/19 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। अपहर्ता बच्ची का शव दिनांक 17.08.2019 को थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र मे साई मंदिर के पास NH 24 के किनारे बोरे मे पडा मिलाथा। जिसके बाद मु0अ0सं0 394/19 में धारा 302/201 भादवि की वृद्धी की गयी। मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 18.08.2019 को प्रकाश मे आये अपहर्ता/मृतका के सगे चाचा सलीम पुत्र महमूद नि0 भारत नगर खोडा गाजियाबादको इतवार पुस्ता से समय 09.00AM पर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

सलीम पुत्र महमूद नि0 भारत नगर थाना खोडा गाजियाबाद मूल नि0 ग्राम अम्बेहटा पीर थाना नकुड जिला सहारनपुर। (अपहर्ता/मृतका का सगा चाचा)

पूछताछ का संक्षिप्त विवरणः- गिरफ्तारशुदा अभियुक्त सलीम पुत्र महमूद ने पूछताछ मे बताया कि दिंनाक 12.08.2019 को बकरीद वाले दिन मेरे अब्बू महमूद ने अपने घर के नीचे पार्किंग मे सामूहिक कुर्बानी चल रही थी। नमाज पढने के बाद मै व मौहल्ले के काफी लोग कसाई के साथ कुर्बानी करा रहे थे। कुर्बानी के बाद गोस्त के छोटे छोटे टुकडे करने के बाद मैने भैंस के गोस्त की कलेजी अलग निकाल ली थी। कुर्बानी स्थल के बाहर काफी बच्चे व आदमी खडे थे जो कुर्बानी होते देख रहे थे। मेरी सगी भतीजी(मृतिका) भी वही खडी थी। समय करीब 10.00 बजे लगभग मैने मृतिक बच्ची को आवाज देकर बुलाया था तथा एक तसले मे कलेजी रखकर अपने घर देने के लिए भेजा था। उसके बाद मै कुर्बानी मे लग गया था। समय करीब 12.00 बजे मेरे घर से फोन आया था कि घर पर कलेजी नही आयी है तो मैने बताया कि कलेजी मैने मृतिक बच्ची के हाथ भिजवाई थी, मै पूछकर बताता हूं। मैने बच्ची की अम्मी से उसके भाई के फोन पर फोन कर पूछा तो उन्होने बताया कि कलेजी बच्ची यहा ले आई थी जिसको हमने पकाकर खा लिया है। यह बात मैने अब्बू को बताई तो अब्बू ने मुझे बहुत भला बुरा कहा जिससे मुझे बच्ची पर बहुत गुस्सा आया जिसके बाद मैने बच्ची को आसपास तलाश किया तो बच्ची चौथी मंजिल पर अपने पिता मसकूर के कमरे के बाहर छत पर बच्चो के साथ खेलती मिली। मैने बच्चो को डांटकर नीचे भगा दिया और लाईवा को गुस्से मे जोर से एक थप्पड मारा जिससे बच्ची का सर जीने की सीढी से टकराया और बच्ची वही अचेत हो गयी मैने उसको टटोल कर देखा तो उसकी सांस बंद थी। बच्ची वही मर चुकी थी। मै डर गया तथा बच्ची के शव को प्लास्टिक की बोरी मे डालकर लाईवा के पिता मसकूर के कमरे मे बैड के किनारे छिपा दिया था और का ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली थी तथा आसपास निगरानी करने लगा कि कोई शव को देख न ले। उसी दिन रात को 11.00 बजे मैने लाईवा को शव को प्लास्टिक की बोरी मे ही कंधे पर रखकर सुनसान रास्ते से फरीद के घर के सामने से होता हुआ इतवार पुस्ता के सामने NH 24 पर आकर साई मंदिर के पास सडक के किनारे डाल आया था। रास्ते में दो-तीन लोगो ने मुझसे कंधे पर रखे बोरे के बारे मे पूछा था तो मैने बता दिया था कि कुर्बानी का कचरा है, कूडे पर डालने जा रहा हूं। जिसके बाद मै डर गया था मैने यह बात किसी को नही बताई थी और अन्य लोगो के साथ मै भी दिखावे के लिए लाईवा कि तलाश मे लग गया था। बच्ची का शव मिलने के बाद मै डर गया था कि कही पुलिस मुझे न पकड ले इसी डर से मै आज घर से भाग रहा था, भागने के लिए इतवार पुस्ता से वाहन की इंतजार कर रहा था तभी पुलिस ने मुझे पकड लिया।

पंजीकृत अभियोग :- मु0अ0सं0 394/19 धारा 363/302/201 भादवि थाना खोडा गाजियाबाद

थाना कविनगर पुलिस द्वारा फर्जी शस्त्र लाईसेन्स बनाकर शस्त्रों की खरीद फरोख्त करने वाले 02 शातिर अभियुक्त मय अस्लहा व फर्जी शस्त्र लाईसेन्स सहित गिरफ्तार :- थाना कविनगर पुलिस द्वारा दिनांक 17.08.2019 को थाना प्रभारी कविनगर अनिल कुमार शाही को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि हापुड़ चुंगी चौराहे पर, हापुड़ रोड़ पर फर्जी शस्त्र लाईसेन्स बनवाकर फरेब कर बेचने/खरीदने वाले जो मुकदमें में वांछित है कही जाने की फिराक मे खडे है यदि जल्दबाजी की जाये तो पकडे जा सकते है। इस सूचना पर पुलिस टीम को गिरफ्तारी हेतु हापुड़ चुंगी चौराहे पर, हापुड़ रोड़ पर हिदायत कर लगाया गया उपरोक्त पुलिस टीम द्वारा 20.30 बजे में हापुड़ चुंगी चौराहे पर, हापुड़ रोड़ आवश्यक बल प्रयोग कर 02 अभियुक्तगण को मय पिस्टल व फर्जी शस्त्र लाईसेन्स के हिरासत में लिया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

इस गैंग का सरगना हरिशंकर अवस्थी व उसका सहयोगी सदानन्द शर्मा निवासी शाहजहाँपुर है जो मौजूदा प्रधान भी हैं। इनके द्वारा जिलाधिकारी शाहजहाँपुर के कार्यालय मे नियुक्त संविदा कर्मी पवनेश व श्याम बिहारी व अन्य कर्मियों से साठगांठ कर आनलाईन युनिक आईडी शस्त्र लाईसेन्सो पर दर्ज कराकर अपराधियों व संगठित गिरोहो को सप्लाई किया जाता था। शाहजहाँपुर के सहरामऊ उत्तरी थाने के सम्बन्धित शस्त्र लाइसेन्स रजिस्ट्रर वर्ष 2007 मे गायब हो गया था जिसके सम्बन्ध मे FIR दर्ज कराई गई थी। उस समय के अभिलेख न उपस्थित होने का फायदा उठाते हुये यह गैंग उस दिनांक के फर्जी लाइसेन्स बनाता था और उसे संविदा कर्मीयो के साठगांढ से UID दिलवा देते था उसके बाद वह अपने सही पते पर उक्त शस्त्र को दर्ज करवाते थे। ये फर्जी शस्त्र लाइसेन्स बनाकर शस्त्र की खरीद फरोख्त करते थे तथा घर बैठे बिना पुलिस की जांच व वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षर के बिना शस्त्र लाईसेन्स पर फर्जी हस्ताक्षर बना देते थे तथा उस पर युनिक आईडी जिलाधिकारी शाहजहाँपुर के कार्यालय मे संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पवनेश व श्याम बिहारी की मिली भगत से डलवा देते थे जिससे शस्त्र लाईसेन्स असली लगे। 01 शस्त्र लाइसेन्स बनवाने मे 05 से 10 लाख रुपये लिये जाते थे जिसमे शस्त्र भी शामिल था। ग्राहको की सन्तुष्टि के लिये एक शस्त्र लाइसेन्स लेने का फार्म भरकर आधार कार्ड व पैन कार्ड की फोटो कापी तथा फोटो ले लेते थे तथा शस्त्र लाइसेन्स 15 दिन में बनवाकर देने की बात कहते हुऐ कुछ पैसे एडवान्स मे ले लेते थे। हरिशंकर अवस्थी व उसका सहयोगी सदानन्द शर्मा निवासी शाहजहाँपुर व फुरकान पुत्र अब्दुल वहीद निवासी बिहारीपुरा कमला हाल वाली गली लाल क्वार्टर के सामने थाना विजयनगर गा0बाद, संजय गर्ग S/o राजपाल गर्ग निवासी A – 3, सैक्टर 12 प्रताप विहार थाना विजयनगर जनपद गा0बाद ,विनोद पुत्र तेजराम सिंह निवासी मकान नं. 64 सर्वोदय नगर थाना विजयनगर गा0बा, नरेन्द्र सिह पुत्र समुन्दर सिह, दीपक गर्ग पुत्र विजय कुमार गर्ग, पिन्टू पुत्र कुर्री सिह ,पवन गर्ग पुत्र राजपाल गर्ग लोग वर्तमान समय में जिला कारागार डासना में अन्तर्गत धारा 420,467,468,471,120 B,34 IPC व 3/25 A. Act मे निरुद्ध है वांछित अभि0 राहुल यादव पुत्र साहमल यादव नि. ग्राम सौरखा, सैक्टर 115 थाना नोएडा 49 जिला गौतमबुद्ध नगर व राजा यादव पुत्र कुडी यादव नि. ग्राम सर्फाबाद सै. 71, थाना सैक्टर 49 जनपद गौतमबुद्धनगर को इनके जुर्म धारा 420,467,468,471,120B,34 IPC व 3/25 A. Act से अवगत कराते हुऐ हिरासत पुलिस में लिया गया। अभि0गण द्वारा शस्त्र लाईसेंस फर्जी तरीके से शाहजहाँपुर के पते पर बनवाया गया है जबकि अभि0गण नोएडा के निवासी है। शेष वांछित अभियुक्तो व शस्त्र धारको की तलाश हेतु टीम गठित कर आवाश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. राहुल यादव पुत्र साहमल यादव नि. ग्राम सौरखा, सैक्टर 115 थाना नोएडा 49 जिला गौतमबुद्ध नगर
2. राजा यादव पुत्र कुडी यादव नि. ग्राम सर्फाबाद सै. 71, थाना सैक्टर 49 जनपद गौतमबुद्धनगर

अभियुक्तगण से बरामद शस्त्र लाइसेन्स/ शस्त्र

1. 01 रिवाल्वर .32 बोर रंग काला जिस पर रिवाल्वर नम्बर A5488M - .32 बोर लिखा है मय शस्त्र लाईसैन्स (अभि0 राहुल यादव से बरामद)।
2. फर्जी श्स्त्र लाईसैंन्स (अभि0 राजा यादव से बरामद)।

<u>थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 25,000 रूपये का इनामी अभियुक्त पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार , कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 वोर व 02 कारतूस जिन्दा व तीन खोखा कारतूस नाजायज :-</u> थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दिनांक-17/08/2019 को चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन अपराध रोकथाम व अपराधियों विरूद्ध कार्यवाही के दौरान थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ट्रोनिका सिटी मे स्थित **अंसल कालोनी** मे एक खाली पडे मकान मे कुछ शातिर अपराधी छिपे हुये हे जो किसी बडी घटना को अन्जाम दे सकते है ।इस सूचना पर पुलिस पार्टी बताये हुये मकान के पास छुपते छुपाते पहुंची और मकान मे छुपे बदमाशो को चेतावनी देते हुये आत्मसमपर्ण के लिए कहा तो छुपे बदमाशो ने अन्दर से पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिग शुरू कर दी, पक्की आड होने की वजह से पुलिस पार्टी बच गयी । पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिग की गयी । जिससे एक बदमाश के बाये पैर मे गोली लगी और अपराधियो को जिन्दा पकडने की इरादे से अपनी जान की परवाह न करते हुए पुलिस पार्टी द्वारा अदम्य साहस एंव शोर्य का प्रर्दशन करते हुए आगे बढे । तभी बदमाशो द्वारा जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी जिसमे एक गोली प्रभारी निरीक्षक थाना ट्रोनिका सिटी के सीने की बाई तरफ लगी । बुलट प्रुफ जैकेट पहने होने के कारण फायर की चोट से बच गये । और इसी दौरान अन्य तीन बदमाश भाग गये जिनको पकडने के लिए उ0नि0 धर्मेन्द्र सिह व उनके हमराही फोर्स को भेजा गया । किन्तु ऊबड खाबड रास्ते एंव झाडियो की वजह से भागने मे सफल रहे । व घायल बदमाश को हिरासत पुलिस मे लेकर **समय 04.50 बजे** दिन उपचार हेतु तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोनी भिजवाया गया । घायल बदमाश थाना हाजा के **मु0अ0स0 495/19 धारा 457/302/307 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी का वाछित** अभि0 है जो फरार चल रहा था । जिसके ऊपर श्रीमान **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 25000 रू0 के ईनाम घोषित** किया गया था । घायल बदमाश अमरीश उर्फ अजय पुत्र गुलाब सिह नि0 सिल्वर सिटी लोनी थाना लोनी तथा उसके तीन साथी 1. प्रीतम पुत्र नामालूम 2. पुष्पेन्द्र पुत्र नामालूम 3. दुनेश पुत्र नामालूम समस्त नि0गण ग्राम हैदर नगर थाना कोतवाली हापुड नगर जनपद हापुड भागने मे कामयाब रहे ।गोली लगे बदमाश अमरीश उर्फ अजय के कब्जे से **एक तमन्चा 315 वोर व 2 कारतूस जिन्दा व तीन खोखा कारतूस नाजायज बरामद हुये** । गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अन्तर्राज्जीय अपराधी है जो एनसीआर तथा अन्य राज्यो मे लूट / चोरी / हत्या /वसूली के जघन्य अपराध घटित करता है । जिसके विरूद्ध विभिन्न थानो में लूट, हत्या , वसूली एवम अपहरण के अभियोग पंजीकृत है घायल अभियुक्त सरकारी अस्पताल गा0वाद में भर्ती है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

1- अमरीश उर्फ अजय पुत्र गुलाब सिह नि0 सिल्वर सिटी लोनी थाना लोनी गा0बाद

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

1-एक तमन्चा 315 वोर व 2 कारतूस जिन्दा व तीन खोखा कारतूस नाजायज

<u>आपराधिक इतिहास- अभि0 अमरीश उर्फ अजय बावरिया</u>

1- मु0अ0स0 495/19 धारा 457/307/302 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी

2- मु0अ0स0 515/19 धारा 307 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी

3- मु0अ0स0 516/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी

4- मु0अ0स0 1665/19 धारा 307 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद

5- मु0अ0स0 448/19 धारा 363/366 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद

6- मु0अ0स0 326/19 धारा 364/384 भादवि थाना लोनी गाजियाबाद

<u>500 ग्राम गांजा सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार :-</u> थाना खोड़ा पुलिस द्वारा दिनांक 18.08.19 को समय 05.30 बजे ताटीया गेट से अभियुक्त अशोक पुत्र महेश निवासी चौहान का होटल ग्राम मामूरा थाना फेज-III नॉएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर को गिरफ्तार किया है | जिसके कब्जे से 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ है |

<u>05 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से 26,970 रूपये बरामद :-</u> थाना विजयानाग्र पुलिस द्वारा दिनांक 17.08.19 को समय 00.35 बजे शिव लाल का मकान से अभियुक्तगण 1. संतोष गुप्ता पुत्र राजेन्द्र निवासी माता कॉलोनी थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद 2. अरविन्द पुत्र जनार्दन शाह निवासी उपरोक्त 3. कमलेश जयसवाल पुत्र सिद्धनाथ निवासी पुराना विजय्नाग्र थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद 4. राजू पुत्र मुंशीलाल निवासी माता कॉलोनी थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद 5. अनिल पुत्र शिव लखन निवासी सै09 थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है | जिनके कब्जे से 26,970 रूपये नकद व 52 पत्ते ताश के बरामद हुए है |

<u>फर्जी नंबर लगी कार सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-</u> थाना मसूरी पुलिस द्वारा दिनांक 17.08.19 को समय 23.05 बजे IMS कॉलेज के पास से अभियुक्त 1. पुनीत पुत्र सतीश निवासी चिरौडी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद 2. नरेंद्र पुत्र राज सिंह निवासी विश्नोई थाना बादलपुर नॉएडा हाल- आनंद विहार राकेश मार्ग थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है | जिनके कब्जे से 01 स्विफ्ट डिज़ायर न0- DL 3C CE 7463 फर्जी नंबर प्लेट लगी बरामद हुई है |

<u>02 पेटी अवैध शराब सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार :-</u> थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा दिनांक 18.08.19 को समय 12.40 बजे बम्बा रोड से अभियुक्त घनश्याम पुत्र नंदलाल निवासी मौ0 प्रीत विहार थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है | जिसके कब्जे से 02 पेटी क्रेजी रोमियो हरियाणा मार्का बरामद हुई है |

<u>चोरी के 15 कट्टे चावल(25 रूपये किलो प्रति बोरा) व 02 चाय पट्टी के पैकेट सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-</u> थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा दिनांक 17.08.19 को समय 20.15 बजे मुखविर की सूचना पर मलिकनगर की पुलिया से थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 709/019 धारा 381 भादवि में वांछित अभि0गण 1. जुनैद पुत्र हसीन नि0 मौ0 नया नूरंगज निकट उमर फारूख मस्जिद थाना मुरादनगर गा0बाद व 2. सलीम पुत्र अमीरूददीन नि0 झील वाली मस्जिद कस्वा व थाना मुरादनगर गा0बाद गिरफ्तार किये गये। पूंछतांछ पर अभि0गण ने उक्त घटना का इकबाल किया और अभि0गण की निशादेही पर अभि0 सलीम के घर से चोरी किये 15 कटटे चावल कीमत करीब 33000 हजार रू0 व 6 पैकेट चाय की पत्ती कीमती करीब 3000 हजार रू0 कुल 36000 रू0 का माल बरामद हुआ। अभि0गण को जेल भेजा जा रहा है।

<u>नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त-</u>

1-जुनैद पुत्र हसीन नि0 मौ0 नया नूरंगज निकट उमर फारूख मस्जिद थाना मुरादनगर गा0बाद।

2- सलीम पुत्र अमीरूददीन नि0 झील वाली मस्जिद कस्वा व थाना मुरादनगर गा0बाद।

<u>पंजीकृत अभियोग :-</u>

1.मु0अ0स0 709/019 धारा 381 भादवि थाना मुरादनगर गा0बाद।

<u>फर्जी अधिकारी बनकर लोगो से प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसे वसूल ने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-</u> थाना लोनी पुलिस द्वारा दिनाक 17.8.19 की रात्रि में डूडा के परियोजना अधिकारी श्री पवन शर्मा द्वारा 3 व्यक्तियों द्वारा डूडा के फर्जी अधिकारी बनकर लोगो से प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसे वसूल किये जा रहे हैं । उक्त तहरीर पर मु०अ०स०800/19 धारा420/384 ipc का पंजीकृत कर अभियुक्त 1.नंदकिशोर पुत्र विनोद नि०जौहरी पुर दिल्ली 2.दीपक पुत्र विनोद नि०उपरोक्त व 3 रोहित पुत्र राजेश कुमार नि०उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जा रहा है